सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 345 राँची, गुरुवार, 11 चैत्र, 1938 (श०)

31 मार्च, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

1 मार्च, 2016

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-684/स्था0, दिनांक 08 अक्टूबर, 2011, पत्रांक-12/स्था0, दिनांक-07 जनवरी, 2013 एवं पत्रांक-579/स्था0, दिनांक 13 सितम्बर, 2014

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-8036, दिनांक-16 दिसम्बर, 2011; पत्रांक-2121, दिनांक-03 मार्च, 2012; पत्रांक-6042, दिनांक-07 मई, 2012; पत्रांक-14021, दिनांक-21 दिसम्बर, 2012; संकल्प संख्या-1492, दिनांक 16फरवरी, 2013; पत्रांक-7972, दिनांक 08 अगस्त, 2014; पत्रांक-1494, दिनांक 19 फरवरी, 2015; पत्रांक-3341, दिनांक 13 अप्रैल, 2015; पत्रांक-4289, दिनांक 13 मई, 2015 एवं पत्रांक-6769, दिनांक 30 जुलाई, 2015

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-73, दिनांक 10 फरवरी, 2014

संख्या-5/आरोप-1-414/2014 का॰-1890-- श्री मिथिलेश कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-622/2003, गृह जिला-मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-684/स्था0, दिनांक 08 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में श्री झा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1647/गो0, दिनांक 18 अगस्त, 2011 के द्वारा राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को एक शील्ड स्टील बॉक्स के अन्दर जिला अभिलेखागार में सुरक्षा में रखा गया था। इस शील्ड बक्से में देवघर में किये गये एवं प्रथम दृष्टया प्रतिवेदित भूमि घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखा गया था। अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज रहने के बावजूद भी शील्ड बक्से की सुरक्षा के संबंध में कोई ऐतिहातिक कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई। अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गये शील्ड बक्सा से सभी अभिलेख/पंजियों की चोरी कर लिये जाने के संबंध में आपके द्वारा दी गई सूचना और दर्ज कराये गये प्राथमिकी के बाद घटना की जाँच अपर समाहर्त्ता , देवघर की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यी जाँच समिति से कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-1745 /गो0, दिनांक 06 सितम्बर, 2011 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। आपके पत्रांक-586/स्था0, दिनांक 07 सितम्बर, 2011 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि The Bihar Record Manual में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अभिलेखागार की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में आप असफल रहे हैं। अभिलेखागार में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की सूचना रहने के बावजूद भी अपेक्षित और समयानुकूल कार्रवाई नहीं किये जाने को आपकी प्रशासनिक

विफलता मानी जा सकती है और शील्ड बक्से से महत्वपूर्ण अभिलेखों/पंजियों की चोरी को इसी प्रशासनिक विफलता से जोड़कर देखना उचित प्रतीत होता है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8036, दिनांक-16 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-2121, दिनांक 3 मार्च, 2012 द्वारा स्मारित किया गया। श्री झा के पत्रांक-23/कार्य0 दण्डा0 न्या0, दिनांक-02 अप्रैल, 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-6042, दिनांक-07 मई, 2012 एवं अनुवर्ती स्मार-पत्रांक-14021, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-12/स्था0, दिनांक-07 जनवरी, 2013 द्वारा श्री झा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री झा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

उपायुक्त, देवघर से प्राप्त अनुशंसा -सह- मंतव्य प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1492, दिनांक 16 फरवरी, 2013 द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा के पत्रांक-73, दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री झा द्वारा आरोप के संबंध में दिये गये बचाव बयान का सार निम्नवत् हैं:-

(क) चाभी सहित सील्ड बक्सा श्री अमल कुमार बरई, प्रधान सहायक -सह- रेकार्ड कीपर द्वारा प्राप्त किया गया एवं उपायुक्त, देवघर के अग्रसारण पत्र के आलोक में इसे दिनांक-19 अगस्त, 2011 को रखवा दिया गया।

(ख) दिनांक-30 अगस्त, 2011 को श्री बरई से चोरी की सूचना मोबाईल से आरापी पदाधिकारी को प्राप्त हुई। अभिलेखागार पहुँचने पर पता चला कि दिनांक-30 अगस्त, 2011 को अभिलेखागार में प्रवेश करने के बाद बक्से का कब्जा टूटा मिला एवं अभिलेख गायब मिले। आरोपी पदाधिकारी द्वारा घटना की प्राथमिकी सं0-260/11 देवघर

थाने में दर्ज करायी गयी तथा स्थानीय पुलिस ने श्री सुनील कुमार एवं श्री ध्रुव परिहस्त को गिरफ्तार कर लिया एवं चोरी की घटना में इनकी संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले।

(ग) श्री बरई ने दि0 01 सितम्बर, 2011 को सूचित किया कि अभिलेखागार में कुछ 41सी एवं 41 डी पंजियाँ उपलब्ध नहीं है। इस सूचना पर देवघर थाना कांड सं0-261/11 दर्ज कराया गया एवं श्री नरेश माँझी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये।

(घ) अभिलेखागार में रखे गये सभी अभिलेखों के custodian प्रधान सहायक -सह-रेकार्ड कीपर ही होते हैं। अभिलेखागार के दरवाजों के सभी चार ताले एवं चाभियाँ इनके पास रहती थी।

(ङ) आयुक्त के सचिव, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश के आलोक में श्री बरई, प्रधान सहायक -सह-रेकार्ड कीपर को प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया।

(च) श्री ज्योतिन्द्र पोद्दार, दफ्तरी वर्ष 1995 से ही जिला अभिलेखागार में प्रतिनियुक्त थे एवं दृष्टिहीनता के कारण इनके पुत्र श्री सुनील कुमार कार्य में सहयोग करते थे। आरोपी पदाधिकारी ने ही इस बात को उपायुक्त को दी तथा सिविल सर्जन, देवघर के माध्यम से आँखों की जाँच मेडिकल बोर्ड से कराने के बाद श्री पोद्दार को अनिवार्य सेवानिवृत्त कराया गया। इसके पूर्व स्थापना उप समाहर्त्ता को लिखकर श्री पोद्दार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करायी गयी एवं उनके पुत्र श्री सुनील कुमार के आने-जाने का रास्ता बन्द कराया गया। चोरी के मामले में श्री सुनील कुमार की संलिप्तता में आरोपी पदाधिकारी की लापरवाही क्या हो सकती है?

(छ) जनवरी, 2011 के बाद श्री कुमार के कभी-कभी अभिलेखागार में प्रवेश पर इनकी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति नहीं थी। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उनके पास जिले के पाँच प्रशाखाओं के प्रभार कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्य एवं बाबा मंदिर के प्रभारी के कार्य के अतिरिक्त थे। अभिलेखागार के औचक निरीक्षण में बाहरी ग्रील गेट हमेशा बन्द रहता था एवं प्रवेश हेतु इन्हें भी इन्तजार करना पड़ता था। अभिलेखागार में प्रवेश की जवाबदेही प्रधान सहायक एवं अन्य कर्मचारियों की थी।

(ज) श्री नरेश माँझी के अभिलेखागार में अनधिकृत प्रवेश का मामला आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल से पहले का है। श्री अरूण कुमार सिन्हा, से०नि० लिपिक आरोपी पदाधिकारी के पदस्थापन के पूर्व से ही लंबित थे। आरोपी पदाधिकारी से इनका कोई संबंध नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन का सार निम्नवत् है-

1. जिला अभिलेखागार, देवघर का रख-रखाव The Bihar Record Manual, 1960 के प्रावधानों के अनुकूल तो नहीं हो रहा था, बल्कि अभिलेखागार जैसे महत्त्वपूर्ण संस्था की सुरक्षा के लिये Common Intelligence का पालन भी नहीं किया जा रहा था।

2. हाल में देवघर जिले में भूमि घोटाले उजागर हुए थे और इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एक स्टील बॉक्स में सील बन्द कर हिफाजत के साथ संरक्षित करने के उद्देश्य से जिला अभिलेखागार को विगत् अगस्त, 2011 को सौंपा गया था। अभिरक्षित बॉक्स में संरक्षित भूमि घोटाले संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची अग्रसारण पत्र में ही सभी संबद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए दे दी गई थी, ताकि इसकी सुरक्षा में कोई चूक न हो। आरोपी पदाधिकारी, जो अभिलेखागार के प्रभारी उप समाहर्त्ता थे, का कहना है कि उन्हें केवल अग्रसारण पत्र ही दिखलाया गया था, बॉक्स को प्रधान सहायक-सह-रिकार्ड कीपर के हवाले कर दिया गया था, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अग्रसारण पत्र के अवलोकन से ही आरोपी पदाधिकारी को अभिरक्षित किये जाने वाले सामग्री के महत्व का अहसास हो जाना चाहिए था।

3. आरोपी पदाधिकारी का यह दावा कि जिला अभिलेखागार, देवघर में वर्ष 1995 से प्रतिनियुक्त श्री ज्योतीन्द्र पोद्दार, अनुसेवक की दृष्टिहीनता एवं उनके पुत्र श्री सुनील कुमार का अपने पिता के सहयोग हेतु अभिलेखागार में आने-जाने की परम्परा आरोपी पदाधिकारी के प्रभार के पूर्व के वर्षों से चली आ रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिलेखागार में संरक्षित अभिलेख बहुत पहले से असुरक्षित थे। आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि पूर्व के किसी प्रभारी उप समाहर्त्ता , जिला अभिलेखागार द्वारा इस तथ्य को

उपायुक्त, देवघर के संज्ञान में नहीं लाया गया था पर अन्य पदाधिकारी की चूक से आरोपी पदाधिकारी को कोई Defence नहीं मिलता है।

4. आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान से स्पष्ट है कि अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रहने के बावजूद भी शील्ड बक्सा की सुरक्षा के संबंध में कोई सावधानी उनके स्तर से नहीं बरती गई। आरोपी पदाधिकारी ने इसे सामान्य कार्य के रूप में ही हैण्डल किया, जो Record Manual के Spirit के विरूद्ध था।

श्री झा के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विषयगत मामले में निर्णय लेने से पूर्व विभागीय पत्रांक-7972, दिनांक 08 अगस्त, 2014 द्वारा उपायुक्त, देवघर से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया-

(क) अभिलेखागार में रक्षित अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेवारी किसकी है? (ख) श्री झा इसके लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं या अप्रत्यक्ष रूप से? (ग) इसके लिये और किस-किस पदाधिकारी तथा कर्मी को क्या-क्या दण्ड दिया गया है? (घ) यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि अभिलेखागार के वरीय प्रभार में कोई था या नहीं?

उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-579/स्था0, दिनांक 13 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि-

(क) अभिलेखागार में रक्षित अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेवारी अभिलेखापाल की है। (ख) श्री झा इसके लिये अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। (ग) श्री अमल कुमार बड़ई, तत्कालीन अभिलेखापाल, देवघर को निलंबित किया गया है तथा ये न्यायिक हिरासत में देवघर, कारा में बंदी हैं। (घ) जिला अभिलेखागार, देवघर के वरीय प्रभार में श्री अजीत शंकर, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता , देवघर थे।

उपायुक्त, देवघर से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(4-क) के तहत् श्री झा के

विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-1494, दिनांक 19 फरवरी, 2015 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई तथा अनुवर्ती पत्रांक-3341, दिनांक 13 अप्रैल, 2015, पत्रांक-4289, दिनांक 13 मई, 2015 एवं पत्रांक-6769, दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया।

श्री झा के पत्रांक-685, दिनांक 24 अगस्त, 2015 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर का सार निम्नवत् है:-

(क) संचालन पदाधिकारी का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी अथवा उनके पूर्व के प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला अभिलेखागार ने यदि सुनील कुमार के विरूद्ध पूर्व में ही अभिलेखागार में प्रवेश पर रोक लगा दी होती तो संभवतः ऐसी घटना नहीं होती।

इस संबंध में मैंने अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा था, जिसे पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है। श्री ज्योतिन्द्र पोद्दार, अनुसेवक की दृष्टिहीनता के कारण इनके पुत्र श्री सुनील कुमार कार्य में सहयोग करते थे। इस तथ्य की जानकारी होने पर मैंने ही इस बात को उपायुक्त को दी तथा सिविल सर्जन, देवघर के माध्यम से आँखों की जाँच मेडिकल बोर्ड से कराने के बाद श्री पोद्दार को अनिवार्य सेवानिवृत्त कराया गया। इसके पूर्व स्थापना उप समाहर्त्ता को लिखकर श्री पोद्दार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करायी गयी एवं उनके पुत्र श्री सुनील कुमार के आने-जाने का रास्ता बन्द कराया गया।

(ख) यदि मेरे उक्त bona fide प्रयास के बावजूद श्री पोद्दार के मेडिकल टेस्ट आदि में विलंब हुआ, तो उसके लिए तत्कालीन उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता एवं सिविल सर्जन, देवघर उत्तरदायी हैं क्योंकि उन्हें श्री पोद्दार एवं उनके पुत्र के संबंध में तथ्यों की जानकारी थी। श्री अजीत शंकर, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता -सह- वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार द्वारा श्री पोद्दार एवं उनके पुत्र के संबंध में मेरे स्तर से की गयी कार्रवाई को अपने हित में छिपाकर अपनी जवाबदेही को जाँच-प्रतिवेदन में मेरे विरूद्ध शिफ्ट कर दिया। चोरी की घटना से लगभग सात माह पूर्व मेरे स्तर से की गयी उक्त कार्रवाई को विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित एवं समयानुकूल नहीं मानना दुर्भाग्यपूर्ण है।

(ग) (i) संचालन पदाधिकारी द्वारा अविश्वनीय ढंग से संभावित निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री सुनील कुमार द्वारा ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। विचारणीय है कि कार्यालय अवधि में अभिलेखागार में प्रयुक्त चार तालों को खुलवाकर वहाँ उपस्थित 8 कर्मचारियों के समक्ष अंतःखण्ड में रखे सील्ड बक्सा की कुंडी तोड़कर लगभग 10-12 किलो वजन वाले पंजियों को सुनील कुमार अकेले कैसे ले जा सकता है? स्पष्ट है कि अभिलेखागार के अन्य कर्मचारी भी श्री कुमार के इस कुकृत्य में सहयोगी रहे है।

(ii) उल्लेखनीय है कि अभिलेखागार के अभिलेख एवं इसके ताला-चाभी के custodian श्री अमल कुमार बरई, तत्कालीन प्रधान सहायक तथा रिकार्ड कीपर थे। अतः मेरी कोई संलिप्तता या विफलता प्रतीत नहीं होती है।

(घ) Record manual के विभिन्न rules द्वारा प्रधान सहायक सह रेकार्ड कीपर को अभिलेखागार में जमा होने वाले सभी अभिलेखों का custodian बनाया गया है। अतः किसी भी विफलता के लिए वे ही जवाबदेह हैं।

देवघर जिला में मेरे पदस्थापन (दिनांक 4 मार्च, 2009) के पूर्व से ही जिला अभिलेखागार में अव्यवस्थित कार्यप्रणाली के संबंध में तत्कालीन उपायुक्त श्री मस्तराम मीणा के आदेश ज्ञापांक-168/रा0, दि0 13 फरवरी, 2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि देवघर अभिलेखागार में कार्य संस्कृति निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप संधारित नहीं हो रही है। इस प्रकार, मेरे पदस्थापन के पूर्व यदि Record Manual के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य हो रहे थे तो इसके लिए पूर्व के पदाधिकारी जवाबदेह थे।

मेरे कार्यकाल में अभिलेखागार में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। लेकिन इस मामले में एकपक्षीय रूप से पूर्व के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा गया और उनके कार्यावधि की सारी जवाबदेही मेरे ऊपर शिफ्ट कर दी गयी।

श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के आलोक में विषयगत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि-

(क) आरोपी पदाधिकारी द्वारा Bihar Record Manual के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1647/गो0, दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण पंजियों एवं अभिलेखों को एक शिल्ड बॉक्स में जिला अभिलेखागार में रखा गया था, जिसकी सुरक्षा के संबंध में कोई ठोस सावधानी इनके स्तर से नहीं बरती गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसे सामान्य कार्य के रूप में handle किया गया, जबकि Bihar Record Manual में Confidential paper को casualy handle करने की स्पष्ट मनाही है।

(ख) भूमि घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात गायब होने के संबंध में देवघर थाना कांड संख्या-260/11, दिनांक 30 अगस्त, 2011 में श्री झा को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया तथा इनके विरूद्ध वर्ष 2014 में अभियोजन स्वीकृति भी दी गई।

(ग) अभिलेखागार में श्री ज्योतिन्द्र पोद्दार, अनुसेवक के पुत्र श्री सुनील कुमार का आना जाना था, जिसकी जानकारी आरोपी पदाधिकारी को थी। इसे रोकने के लिए उन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उल्लेखनीय है कि दर्ज कांड में श्री सुनील कुमार के विरूद्ध अभिलेखों को जलाकर नष्ट कर देने का साक्ष्य मिला है।

(घ) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के आधार पर उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। अभिलेखागार के प्रभारी के रूप में उनका यह दायित्व था कि इसकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करते। देवघर भूमि घोटाला की जाँच CBI द्वारा की जा रही है। इससे संबंधित अभिलेखों को अभिलेखागार से ताला तोड़कर गायब किया जाना आरोपी पदाधिकारी की प्रशासनिक विफलता है। अभिलेखागार का प्रभारी होने के नाते श्री झा दोषमुक्त नहीं हो सकते परन्तु इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कागजातों को गायब कराने में संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। दर्ज आपराधिक कांड में अगर इस तरह का साक्ष्य आता है, तो इस पर अलग से कार्रवाई होगी।

समीक्षोपरान्त, श्री मिथिलेश कुमार झा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(क) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रवर कोटि ग्रेड के पद से मूल कोटि के पद पर पदावनति। इसके फलस्वरूप झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के न्यूनतम प्रक्रम पर इनके वेतन की निकासी की जायेगी।

(ख) पदावनति के फलस्वरूप भविष्य में इन्हें यथाक्रम वेतन वृद्धियाँ मिलती रहेंगी।

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के ज्ञापांक-6051, दिनांक 11 मई, 1985 के आलोक में उक्त पदावनति की सजा के फलस्वरूप आदेश निर्गत होने की तिथि से इन्हें अगले सात वर्षों तक प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 345—50 ।